अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सीताराम रावत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
07.05.2026	दयाल बनाम सोजी वगैरह (2026/193) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को अपील के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने मौखिक बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पर सुनवाई कर दिनांक 06.04.2026 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर गैर कानूनी तरीके से वादी के पक्ष में वाद संख्या 162/2024 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 06.01.2026 को निरस्त कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 स्वीकारी किये जाने से उक्त अपील को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है जो विधि अनुसार न्यायालय हाजा में पोषणीय है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया गया। अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2026 को प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.01.2026 को निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। इस सबंध में हमने सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 (डी) का अवलोकन किया। जिसमें स्पष्ट अंकित है कि an order under rule 13 of order IX rejecting an application (in a case open to appeal) for an order to set aside a decree passed ex parties. अर्थात आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के विरूद्ध अपील पोषणीय है किन्तु आदेश 9 नियम 13 को स्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही है। अतः उपरोक्त प्रावधानुसार प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण अपील को लौटाये जाने आदेश आदेश दिये जाते है। न्यायालय हाजा के मूल आदेश एवं अपील की प्रमाणित प्रति को रिकार्ड हेतु रखा जावें। मूल अपील व निर्णय की प्रमाणित प्रति अभिभाषक अपीलांट को लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर (राज0)

—00—

अपील संख्या /2026

—00— 193/2026

दयाल पुत्र बीजा आयु 67 वर्ष जाति गुंर्जर निवासी ग्राम नवाब तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर

अपीलार्थी

बनाम

1. सोजी पुत्र माना
2. रामू पुत्र माना
3. लाली पुत्र माना
4. जसराज पुत्र श्रवण समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम नवाब तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
5. मैनेजर, भारतीय स्टैट बैंक शाखा तिहारी जिला अजमेंर
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पाडेंट्सगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 162/2024 उनवान दयाल बनाम सोजी व अन्य में वादी का वाद आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से दिनांक 06.04.2026 को वादी के वाद की निर्णय डिकी दिनांक 06.01.2026 को निरस्त की गयी के विरूद्ध अपील बाबत

श्रीमानजी,

माननीय न्यायालय से अपीलार्थी की ओर निम्न निवेदन है कि:–

193/2026
24/4/26

नि.अं. दयाल